

केन्द्रांश की राशि

3/यो0-27/2017(खण्ड)
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2018-19)

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (मु0),
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -.....

विषय:-

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सिपडा) हेतु केन्द्रांश मद में मांग संख्या 03 अन्तर्गत रू0 58.42 लाख (अठारह लाख बैयालिस हजार) तथा मांग संख्या 51 अन्तर्गत रू0 1791.87 लाख (सत्रह करोड एकान्वे लाख सतासी हजार) यानी कुल 1850.29 लाख (अठारह करोड पचास लाख उन्तीस हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के जापांक-5722 दिनांक-27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगता प्रक्षेत्र के सभी योजनाओं के कल्याणार्थ शीघ्र लाभ उपलब्ध कराने तथा समाज में दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उन्हें भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र-योजना क्रियान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत्यादेश संख्या 02 दिनांक 18.04.2018 द्वारा इस छत्र योजना हेतु 300.00 लाख रू0 (तीन करोड रू0) की स्वीकृति दी गयी है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में प्रथम अनुपूरक से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सिपडा) हेतु केन्द्रांश मद में मांग संख्या 03 अन्तर्गत रू0 58.42 लाख (अठारह लाख बैयालिस हजार) तथा मांग संख्या 51 अन्तर्गत रू0 1791.87 लाख (सत्रह करोड एकान्वे लाख सतासी हजार) अर्थात् कुल 1850.29 लाख (अठारह करोड पचास लाख उन्तीस हजार) मात्र अतिरिक्त प्रावधानित किया गया है, जिसके व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की है :-

(राशि लाख में)

क्र	योजना का नाम एवं	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	मूल बजट उपबन्ध
केन्द्रांश की राशि				
1	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सिपडा)	03-2235021010224	0224.2701	58.42
2	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सिपडा)	51-2235021010223	0223.2701	1791.87
कुल योग (अठारह करोड पचास लाख उन्तीस हजार) मात्र				1850.29

2. मांग संख्या-51 की स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। मांग संख्या-03 अन्तर्गत प्रावधानित राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया जायेगा।

3. मांग संख्या-51 की स्वीकृत राशि के विरुद्ध दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि0 दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि0 दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि0 दिनांक 28.03.18, पत्रांक 662/वि0 दिनांक 02.08.2018 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-27/2017(खण्ड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 10/टि0 पर दिनांक 20.08.2018 को माननीया मंत्री, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-27/2017(खण्ड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 09/टि0 पर दिनांक 13.08.2018 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के उपरांत निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)।

जापांक- 3/यो0-27/2017(खंड)

/...../दिनांक-

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सक्षम/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त निदेशक (मु0)

जापांक- 3/यो0-27/2017(खंड)

/.....20...../दिनांक- 20/8/2018

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु0)